अनुस्मारक–3 / समयबद्व

निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0, तृतीय तल इन्दिरा भवन, लखनऊ।

पत्रांक–C-1710/बा0वि0परि0 / स्था0–4 / 2017–2018 / दिनांक 9–10–2017

समस्त, जिला कार्यक्रम अधिकारी /
प्रभारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी
उत्तर प्रदेश।

कृपया निदेशालय पत्र सं0–सी 1241 दिनांक–16.8.17 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा शासनादेश सं0–2/2/99–का–2–2001 दिनांक 22.12.2001 के अन्तर्गत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद से कनिष्ठ लिपिक के पद पर निर्धारित पदोन्नति प्रक्रिया के कम में विभाग में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को तृतीय श्रेणी के पद पर पदोन्नति किये जाने हेतु चतुर्थ श्रेणी के पद पर पांच वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले कर्मचारियों के संबंध में आपको निर्देशित किया गया था कि जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अर्हता रखते हो, उन कर्मचारियों का नाम अंकित कर उनके समस्त शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण–पत्रों की प्रमाणित छाया प्रति तथा निर्धारित प्रारूप पर सूचना (एम0एस0 एक्सल पर) हार्ड कापी व सी0डी0 सहित दिनांक–25.8.17 तक अनिवार्य रूप से निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। परन्तु बडे ही खेद का विषय है कि वर्णित पत्र तथा विभागीय समीक्षा बैठकों में भी आपको निर्देशित करने के पश्चात भी कुछ जनपदों द्वारा ही सूचना उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें से अधिकतर जनपदों की सूचना गलत है। जिन जनपदों द्वारा सूचना उपलब्ध ही नही करायी गयी थी उनको अनुस्मारक पत्र सं0–सी 1671 दिनांक–27.9.17 द्वारा वांछित सूचना/अभिलेखों को विलम्बतम दिनांक–5.10.17 तक निर्धारित प्रारूप पर सूचना (एम0एस0 एक्सल पर) व हार्ड कापी व सी0डी0 सहित निदेशालय में उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया, परन्तु अभी तक उनके द्वारा सूचना उपलब्ध नही करायी गई है, जिसके कारण चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद से कनिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति करने की कार्यवाही किया जाना सम्भव नही हो पा रहा है तथा पदोन्नति करनें में विलम्ब भी हो रहा है।

अतः आप सभी को अन्तिम रूप से निर्देशित किया जाता है कि निर्धारित प्रारूप को सही प्रकार से पढकर/भरकर निम्नांकित सूचना/अभिलेखों को विलम्बतम दिनांक–11.10.17 तक (एम0एस0 एक्सल पर) व हार्ड कापी व सी0डी0 सहित निदेशालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यदि निर्धारित दिनांक तक सूचना निदेशालय में प्राप्त नही होती हो तो आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही करनें हेतु बाध्य होना पडेगा, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

1. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट अंकतालिका/प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रति।
2. पांच वर्ष की सेवा पूर्ण करनें संबंधी (जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा प्रदत्त) प्रमाण–पत्र।
3. टंकण गति की जानकारी।
4. नियुक्ति पत्र की प्रमाणित छाया प्रति। तदर्थ/अस्थायी, विनियमितीकरण के आदेश की प्रति।
5. कर्मचारी की गोपनीय आख्या की प्रमाणित छाया प्रति।
6. इस आशय का प्रमाण–पत्र भी अंकित करें कि जनपद में किसी पात्र कर्मचारी का नाम प्रेषित करनें से छूटा नही है।

प्रारूप

जनपद का नामः–

क्र0सं0	चुतर्थ श्रेणी कर्मचारी का नाम	पिता का नाम	जाति	स्थायी पता	नियुक्ति का प्रकार स्थायी/अस्थायी/दैनिक वेतन/अन्य	शैक्षिक योग्यता	जन्म तिथि	विभाग में प्रथम योगदान तिथि	जनपद में योगदान तिथि	गोपनीय आख्या का विवरण वर्षवार	विनियमितीकरण का आदेश/दिनांक	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

(राजेन्द्र कुमार सिंह)
निदेशक।

स्थापना 4 बीरेन्द्र प्रजेपर्ति